

जनपद बाराबंकी

दिनांक- 03.04.2025

थाना देवा पुलिस टीम द्वारा 01 ऑटोलिफ्टर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल व एक अदद अवैध तमंचा बरामद-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवा पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेन्स के आधार पर आज दिनांक 03.04.2025 को 01 ऑटोलिफ्टर अंकुल यादव उर्फ जंगली पुत्र भगौती प्रसाद निवासी ग्राम टिकरिया थाना देवा जनपद बाराबंकी को किसान पथ अन्डर पास, बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 02 अदद मोटरसाइकिल संख्या यूपी 41 AR 2840, UP 43 AP 3084 व एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवा पर मु0अ0सं0 205/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ एवं जांच से ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर रेकी करने के उपरान्त मोटरसाइकिल चोरी करते हैं तथा चोरी की गई मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट बदल कर बाराबंकी के आसपास जनपदों में सस्ते दामों पर बेच देते हैं। अभियुक्त द्वारा मोटर साइकिल UP 41 AR 2840 को थाना फतेहपुर क्षेत्र से व मोटर साइकिल UP 43 AP 3084 को जनपद लखनऊ के थाना इन्दिरानगर क्षेत्र से चोरी किया गया था, जिस सम्बन्ध में क्रमशः थाना फतेहपुर में मु0अ0सं0 35/2025 धारा 303(2) बीएनएस व थाना इन्दिरानगर लखनऊ में मु0अ0सं0 59/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्त के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अंकुल यादव उर्फ जंगली पुत्र भगौती प्रसाद निवासी ग्राम टिकरिया थाना देवा जनपद बाराबंकी

बरामदगी-

1. मोटर साइकिल UP 41 AR 2840
2. मोटर साइकिल UP 43 AP 3084
3. एक अदद तमंचा .315 बोर मय जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 35/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 59/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना इन्दिरा नगर जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 205/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवा जनपद बाराबंकी

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार त्रिपाठी थाना देवा जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह थाना देवा जनपद बाराबंकी।
3. हे०का० रामजीपाल हे०का० सौरभ सिंह यादव थाना देवा जनपद बाराबंकी।
4. का० आरव सिंह, का० रविन्द्र सिंह व का० मुकेश यादव थाना देवा जनपद बाराबंकी